न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री दौलतराम चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र संख्या :– 345/2018

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीः–
1. भंवरपुरी पुत्र शंकरपुरी, 2. सुमेरपुरी पुत्र शंकरपुरी, 3. छोटुपुरी पुत्र शंकरपुरी, जातियान गुसाई निवासीगण छितरिया, तहसील सोजत।		1. सरकार जरिये तहसीलदार (भूमि–धारक) सोजत, तहसील सोजत, जिला–पाली।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः–

1. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. अप्रार्थी तहसीलदार सोजत उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक – 31.08.2020

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने एक विविध प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी के इस आशय से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम छितरिया, पटवार क्षेत्र रून्दिया के खसरा नम्बर 123 रकबा 2.1200 हैक्टर स्थित है। उक्त कृषि भूमि का प्रार्थीगण ने आपस में बंटवाड़ा कर लिया था, जिससे खसरा नम्बर 123/1 रकबा 0.7000 हैक्टर प्रार्थी सुमेरपुरी के बंट व हिस्से में आया। खसरा नम्बर 123 रकबा 0.7000 हैक्टर प्रार्थी भंवरपुरी के बंट व हिस्से में आया तथा खसरा नम्बर नम्बर 123/2 रकबा 0.7000 हैक्टर प्रार्थी छोटुपुरी के बंट व हिस्से में आया एवं खसरा नम्बर 123/3 रकबा 0.02000 हैक्टर तीनो प्रार्थीगण ने अपनी संयुक्त खातेदारी का रखा। जिस पर प्रार्थीगण अलग–अलग काबिज काश्त है। प्रार्थीणग के उक्त कृषि भूमि खसरा संख्या 123 रकबा 2.1200 हैक्टर का पर्चा लगान में प्रार्थीगण की जाति गुसाई दर्ज की तथा उसके बाद बनी जमाबंदी सम्वत् 2051 से 2054 में प्रार्थीगण की जाति पुरी दर्ज कर दी गई तथा उसके बान बनी जमाबंदी सम्वत् 2055 से 2058 में प्रार्थीगण की जाति हटा दी गई, जिससे आज दिन तक उक्त भूमि में प्रार्थीगण की जाति दर्ज नही चली आ रही है। पूर्व में प्रार्थीगण की जाति गुसाई राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज थी। तत्कालीन पटवारी हल्का के द्वारा सेहवन से एवं भूलवश प्रार्थीगण की जाति राजस्व रेकर्ड जमाबंदी दर्ज करने से रह जाने की वजह से प्रार्थीगण को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। प्रार्थीगण की जाति गुसाई है। प्रार्थी भंवरपुरी ने अपने हक हिस्से की भूमि का बेचान श्रवणपुरी पुत्र भंवरपुरी को कर दिया है तथा राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण की जाति इन्द्राज नही होने की वजह से उक्त बेचान दस्तावेजात के आधार पर नामान्तरण दर्ज करवाने में भारी कठिनाई उत्पन्न हो रही है। इसलिए राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण की जाति पुनः गुसाई दर्ज करवाया जाना कानूनन आवश्यक एवं न्यायसंगत है। प्रार्थीगण को पूर्व में उक्त जाति राजस्व रेकर्ड से हटाने की जानकारी नही थी। प्रार्थीगण रजिस्ट्री करवाने के समय जानकारी में आया कि प्रार्थीगण की

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner

जाति राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नही है तथा बेचान दस्तावेज के आधार पर नामान्तरण दर्ज नही करने राजस्व रेकर्ड की नकले प्रार्थीगण द्वारा संबंधित कार्यालय से प्राप्त करने पर जानकारी मे आया कि पूर्व में प्रार्थीगण की जाति राजस्व रेकर्ड इन्द्राज थी। लेकिन तत्कालीन पटवारी द्वारा भूलवश प्रार्थीगण की जाति दर्ज करने से छोड दी गई, जिसे पुनः रेकर्ड दुरूस्त किया जाकर प्रार्थीगण की जाति गुसाई राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाना कानूनन आवश्यक एवं न्यायासंगत है। उक्त कृषि भूमि ग्राम छितरिया, तहसील सोजत में स्थित होने से न्यायालय हाजा को श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का है। अतः अधिक्ता मय प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा छितरिया पटवार क्षेत्र रून्दिया तहसील सोजत के खसरा संख्या 123/1 रकबा 0.7000 हैक्टर प्रार्थी सुमेरपुरी, खसरा नम्बर 123 रकबा 0.7000 हैक्टर प्रार्थी भंवरपुरी तथा खसरा नम्बर 123/2 रकबा 0.7000 हैक्टर प्रार्थी छोटुपुरी एवं खसरा नम्बर 123/3 रकबा 0.02000 हैक्टर किस्म बारानी दौयम तीनो प्रार्थीगण ने अपनी संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि में प्रार्थीगण के नाम के पीछे जाति गुसाई राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत को जरिए नोटिसेज वास्ते जवाब प्रा० पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत ने जवाब प्रा० पत्र दिनांक 21.08.2020 को पेश कर प्रार्थीगण के नाम के आगे अंकित जाति गुसाई दुरूस्त रूप से दर्ज किये जाने में कोई आपति नही होना अंकित किया है। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रा० पत्र के समर्थन में शपथ-पत्र, कार्यालय ग्राम पंचायत द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, भू-प्रबंध विभाग का पर्चा लगान, भंवरपुरी का बेचाननामा, प्रमाणित जमाबन्दियॉ सम्वत् 2063-66, 2051-54, 2055-58, 2059-62, की प्रमाणितप्रतियां पेश की है, सा०मि० है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रा० पत्र में वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 123/1 रकबा 0.7000 हैक्टर प्रार्थी सुमेरपुरी, खसरा नम्बर 123 रकबा 0.7000 हैक्टर प्रार्थी भंवरपुरी तथा खसरा नम्बर 123/2 रकबा 0.7000 हैक्टर प्रार्थी छोटुपुरी एवं खसरा नम्बर 123/3 रकबा 0.02000 हैक्टर किस्म बारानी दौयम तीनो प्रार्थीगण की अपनी संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें प्रार्थीगण के नाम के पीछे जाति गुसाई राजस्व दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की है। जिस पर उपस्थित तहसीलदार(लैण्ड होल्डर) सोजत द्वारा दुरूस्त रूप से प्रवृष्टि किये जाने में कोई आपति नही होना बहस के दौरान व्यक्त किया है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रा० पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात, जवाब प्रा० पत्र साक्ष्य सबूतों दस्तावेजात तथा उक्त विवादित भूमि से सम्बद्ध प्रा० पत्र में वर्णित उक्त तथ्यों की ताईद में प्रस्तुत शपथ पत्र मय उक्त दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस उभय पक्षों पर गौर कर मनन किया गया। भू०प्रबंधन विभाग के पर्चा लगान में प्रार्थीगण के पिता के नाम के पिछे "गुसाई" जाति दर्ज है किन्तु जमाबन्दी

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner

सम्वत् 2051–54 में प्रार्थीगण के दर्ज नाम के पिछे ''पुरी'' अंकित कर दिया गया। तथा उक्त भूमि की पश्चातवर्ती जमाबन्दियो में जाति का अंकन नही किया जाना बखूबी प्रमाणित होता है। वस्तुतः प्रस्तुत प्रा0 पत्र धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्त विवादित सरहद मौजा छितरिया पटवार क्षेत्र रून्दिया तहसील सोजत के खसरा संख्या 123/1 रकबा 0.7000 हैक्टर प्रार्थी सुमेरपुरी, खसरा नम्बर 123 रकबा 0.7000 हैक्टर प्रार्थी भंवरपुरी तथा खसरा नम्बर 123/2 रकबा 0.7000 हैक्टर प्रार्थी छोटुपुरी एवं खसरा नम्बर 123/3 रकबा 0.02000 हैक्टर किस्म बारानी दौयम तीनो प्रार्थीगण की अपनी संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि में प्रार्थीगण के नाम के पीछे जाति गुसाई राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त प्रविष्टि दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिया जाना उचित समझते है।

–:आदेशः–

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा छितरिया पटवार क्षेत्र रून्दिया तहसील सोजत के खसरा संख्या 123/1 रकबा 0.7000 हैक्टर प्रार्थी सुमेरपुरी, खसरा नम्बर 123 रकबा 0.7000 हैक्टर प्रार्थी भंवरपुरी तथा खसरा नम्बर 123/2 रकबा 0.7000 हैक्टर प्रार्थी छोटुपुरी एवं खसरा नम्बर 123/3 रकबा 0.02000 हैक्टर किस्म बारानी दौयम तीनो प्रार्थीगण ने अपनी संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि में प्रार्थीगण के नाम के पीछे जाति गुसाई वास्तविक व सही होने की संपुष्टि हो जाने प्रार्थीगण के नाम के पि छे दुरूस्त प्रविष्टि ''कौम गुसाई'' दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सोजत को निर्णय की छायाप्रति तहरीर के साथ भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य मण्डार जमा हो।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज

निर्णय आज दिनांक 21.08.2020 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner